

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 19/2016

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा

बनाम

1. रेखा पत्नि रामकरण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए 1955

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: श्री मनीष तिवाडी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक: 16-3-18

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा ग्राम पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 172 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा संवत 2010 में गैर मुमकिन नदी किस्म की भूमि होना व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में पुनः उक्त प्रश्नगत भूमि को गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने हेतु, यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में पेश किया गया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा से स्थानान्तरण होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेश हुआ।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीलवा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 172 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि अभिलेख संवत 2010 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड थी इसके पश्चात भूमि एकीकरण अभिलेख संवत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नं. 9/1 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा बने, एवं भूमि बन्दोबस्त अभिलेख संवत 2041-60 में खसरा नं. 9/1

रजि. 19/2016  
अतिरिक्त जिला कलक्टर

दौसा



रेफरेंस प्रकरण संख्या : 19/2016

से खसरा नं. 84 रकबा 2.10 है0 किस्म खातली दर्ज किया गया एवं रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2067-70 में खसरा नं. 84/4 रकबा 0.50 है0 किस्म खातली खातेदार रेखा पत्नि रामकरण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी जरिये उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 84/4 रकबा 0.50 है0 रेखा पत्नि रामकरण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा को आवंटन की गई थी। जो नामान्तरकरण सं. 315 दिनांक 15.12.2005 द्वारा रेखा पत्नि रामकरण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई तथा नामान्तरकरण सं. 400 दिनांक 14.01.2008 द्वारा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान में जमाबन्दी संवत 2067-70 अनुसार खाता सं. 266 में उल्लेखित उक्त आराजी भूमि खसरा नं. 84/4 रकबा 0.50 है0 रेखा पत्नि रामकरण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रैफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार दौसा एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट मात्र के आधार पर यह प्रकरण रैफरेंस योग्य बनाया है उक्त भूमि कभी भी नदी, नाला, तालाब गैर मुमकिन नहीं रही। प्रकरण में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन किया गया है जो वैध एवं नियमानुसार आवंटन हुआ है। प्रार्थी द्वारा उस पर कृषि काशत करते हुए लम्बा अरसा बीत चुका है। प्रार्थी द्वारा अगाध मेहनत एवं पैसा लगाकर कृषि योग्य किया गया है। अतः रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज कर उक्त आवंटन को यथावत रखने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि साबिक खसरा नं. 172 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा संवत 2010 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है, जिसमें से खसरा नं. 84/4 रकबा 0.50 है0 किस्म खातली, उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा आवंटन किये जाने पर खातेदार रेखा पत्नि रामकरण जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त


अति० जिला कलक्टर  
दौसा



रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 19/2016

आराजी पूर्व में गै0मु0 नदी दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाई जावे व फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
( राजवीर सिंह चौधरी )

अति० जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 16-3-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( राजवीर सिंह चौधरी )

अति० जिला कलक्टर दौसा

